

राजस्थान सरकार
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद्, जोधपुर
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय परिसर, जोधपुर, W-6, गौरव पथ, जोधपुर
Tel: 0291-2636072, 2632359 Fax: 0291-2632360, 2632329
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com

क्रमांक:- प.सं.9 ()/RCVET/ प्र-5/ परीक्षा/2018/ 67432 दिनांक:- 12/03/2018

आचार्य/अधीक्षक
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
समस्त राजकीय/निजी

विषय:- NCVT सैद्धान्तिक परीक्षा जनवरी/फरवरी 2018 के दौरान दिनांक 05.02.2018 को आयोजित ट्रेड थ्योरी (पेपर-1) सेमेस्टर प्रथम, व्यवसाय मैकेनिक डिजल ग्रुप के पेपर की परीक्षा का पुनः आयोजन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- DGT का पत्राक MSDE-18011/04/CTS/Ans.Key/2018-TTC दिनांक 08 मार्च 2018 के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि DGT नई दिल्ली के उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार दिनांक 05.02.2018 से 15.02.2018 तक आयोजित हुई NCVT सैद्धान्तिक परीक्षा जनवरी/फरवरी 2018 के दौरान दिनांक 05.02.2018 को आयोजित ट्रेड थ्योरी (पेपर-1) सेमेस्टर प्रथम, व्यवसाय मैकेनिक डिजल ग्रुप (मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रेक्टर, पम्प ऑपरेटर कम मैकेनिक, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रीशियन एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स व मैकेनिक मोटर साइकल) की परीक्षा का पेपर Out of Syllabus आने के कारण उक्त पेपर की परीक्षा का पुनः आयोजन दिनांक 27.03.2018 को प्रातः 10.00 AM किया जायेगा।

उक्त परीक्षा हेतु सम्बन्धित व्यवसाय के वहीं छात्र पात्र होंगे जिनका DGT नई दिल्ली द्वारा संचालित MIS Portal से AITT परीक्षा जनवरी/फरवरी 2018 हेतु Hall Ticket जारी किया गया था/रोल लिस्ट में नाम था अथवा MIS Portal द्वारा जारी Hall Ticket Eligibility में Hall Ticket Generated Status Yes था।

साथ ही DGT नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार सभी सम्बन्धित छात्रों को यह भी अवगत करावें कि उक्त पेपर के दोनों पार्ट (Part -A & Part -B) Attempt करने होंगे।

अतः उक्त सम्बन्ध में सभी पात्र छात्रों को अपने स्तर पर सूचित करावें। प्रवेश पत्र के सम्बन्ध में निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय


उपनिदेशक (RCVET)

क्रमांक:- प.सं.9 ()/RCVET/ प्र-5/ परीक्षा/2018/ 67433-34 दिनांक:- 12/03/2018

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक (प्रशिक्षण), क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
2. समस्त सदस्य सचिव, जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समितियों (जिला स्तरीय राजकीय औ0 प्र0 संस्थानों)।


उपनिदेशक (RCVET)